संख्या-01/2019/52/22-2-2018-17(116)/2014

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महनिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलाब सिंह उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्री कल्लू उर्फ कल्पनाथ सिंह निवासी जनपद-मीरजापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3(एम-21.12.2017) दिनांक 29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलाब सिंह उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्री कल्लू उर्फ कल्पनाथ सिंह, जो- ग्राम-कैलहट, थाना-चुनार, जनपद-मीरजापुर का रहने वाला है। बन्दी ने जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 12.08.2000 को सुबह लगभग 10:00 बजे 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी डण्डे से मारकर श्रीमती सुदामा देवी व इन्दर कुमार की खेत में हत्या कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-81/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 323/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांक 28.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 17 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 12.08.2000 को सुबह लगभग 10:00 बजे 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी डण्डे से मारकर श्रीमती सुदामा देवी व इन्दर कुमार की खेत में हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष गुलाब सिंह उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्री कल्लू उर्फ कल्पनाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गुलाब सिंह उर्फ जयप्रकाश (बन्दी संख्या-12/2017) पुत्र श्री कल्लू उर्फ कल्पनाथ सिंह निवासी जनपद-मीरजापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-01/2019/52(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-01/2019/52/22-2-2018-17(116)/2014

दिनांक 07 जनवरी, 2019 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुलाब सिंह उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्री कल्लू उर्फ कल्पनाथ सिंह, जो- ग्राम-कैलहट, थाना-चुनार, जनपद-मीरजापुर का रहने वाला है। बन्दी ने जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 12.08.2000 को सुबह लगभग 10:00 बजे 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी डण्डे से मारकर श्रीमती सुदामा देवी व इन्दर कुमार की खेत में हत्या कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-81/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 323/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेश दिनांक 28.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 17 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 12.08.2000 को सुबह लगभग 10:00 बजे 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी डण्डे से मारकर श्रीमती सुदामा देवी व इन्दर कुमार की खेत में हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष गुलाब सिंह उर्फ जयप्रकाश पुत्र श्री कल्लू उर्फ कल्पनाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in